UPKU010007992013

न्यायालय-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-02, कुशीनगर, स्थान-पड़रौना।

उपस्थितः-परमेश्वर प्रसाद, एच०जे०एस०-U.P. 6363

सत्र परीक्षण संख्या-166/2013

C.I.S. Reg. No.	**100166/2013**
Filing No.	**100166/2013**
C.N.R. NO.	**UPKU010007992013**
Date of Filing No.	**19-07-2013**
Date of Reg.	**19-07-2013**

प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण
पुलिस थाना तुर्कपट्टी के अपराध क्रमांक 425A/2011, अन्तर्गत धारा-304 भा०दं०सं०, 1860

परिवादी/अभियोजन	रोजद्दीन अंसारी पुत्र मुनेसर, साकिन-बलडिहा, थाना-तुर्कपट्टी, जिला-कुशीनगर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री संजीव कुमार सिंह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुशीनगर।

//विरूद्ध//

अभियुक्तगण	1- सलेहा खातून बउम्र 39 वर्ष पत्नी जहीर अब्बास पुत्री अलाउद्दीन, 2- अमर हुसैन अंसारी बउम्र 53 वर्ष पुत्र हकीम अंसारी, साकिनान-बलडीहा, थाना-तुर्कपट्टी, जनपद-कुशीनगर।

मु०अप०सं०-425A/2011,
धारा-304 भा०दं०सं०,
थाना-तुर्कपट्टी, जनपद-कुशीनगर।

निर्णय

1.0– अभियुक्तगण सलेहा खातून, अमर हुसैन व खुर्शीद के विरूद्ध प्रस्तुत सत्र विचारण अपराध संख्या–425A/2011, धारा–304 भा०दं०सं०, थाना–तुर्कपट्टी, जनपद–कुशीनगर के मामले से सम्बन्धित है। अपराध संख्या उपरोक्त में अभियुक्तगण सलेहा खातून, अमर हुसैन व खुर्शीद के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेने के पश्चात मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान–पड़रौना के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 04.07.2013 को पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी।

2.0– प्रस्तुत सत्र विचारण अपराध संख्या–425A/2011, धारा–304 भा०दं०सं०, थाना–तुर्कपट्टी, जनपद–कुशीनगर के मामले से सम्बन्धित है। इसके आधार पर अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले की अपराध संख्या–425A है, इससे स्पष्ट है कि यह क्रास केस से सम्बन्धित मामला है। किन्तु अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष दोनों में से कोई भी क्रास केस के सम्बन्ध में कुछ भी बता नहीं पाया है। यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि पी०डब्लू०–06 के रूप में परीक्षित मामले के विवेचनाधिकारी सेवानिवृत्त उप निरीक्षक इन्द्रदेव सिंह से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्रास केस के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथानक के अनुसार घटना वाली रात मृतक रफीक अभियुक्ता सलेहा खातून के घर में घुसा था। उसी समय अभियुक्तगण ने रफीक को पकड़ कर बुरी तरह मारा–पीटा था और उसे थाना–तुर्कपट्टी भी ले गये थे। अभियुक्तगण की ओर से यह कहा गया है कि घटना वाली रात मृतक रफीक अभियुक्ता सलेहा खातून के घर में बलात्कार की नियत से घुसा था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्ता सलेहा खातून के पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध पहले अभियोग पंजीकृत कराया गया होगा। अभियुक्तगण के मारने से रफीक की मृत्यु हो जाने पर जब वादी अभियोग पंजीकृत कराने गया होगा, तो उसका मुकदमा अपराध संख्या–425A के रूप में दर्ज किया गया होगा। किन्तु रफीक की मृत्यु हो जाने के कारण अभियुक्ता सलेहा खातून के पक्ष की ओर से पंजीकृत कराये गये अपराध संख्या–425/2011 में कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी होगी।

3.0– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा रोजद्दीन द्वारा थाना–तुर्कपट्टी में दिनांक 22.06.2011 को समय 08.45 बजे इस आशय की तहरीरी सूचना दी गयी कि वह बलडिहा, थाना–तुर्कपट्टी, जिला–कुशीनगर का निवासी

है। आज दिनांक 21/22.06.2011 की रात उसका लड़का रफीक घोठा पर उसके पास सोया था। रात करीब दो बजे वह उठकर गाँव के ही उसके पट्टीदार अलाउद्दीन के घर चला गया। घर में घुसने के कारण अलाउद्दीन की लड़कियाँ सलेहा खातून, रूबी खातून और रूकसाना खातून तथा उसके पट्टीदार अमर हुसैन पुत्र हकीम व खुर्शीद पुत्र अमर हुसैन ने मिलकर लाठी,डण्डा, लात, घूसा से बुरी तरह से मारा पीटा है। मौके पर गाँव के संजय प्रसाद पुत्र राजेन्द्र प्रसाद, जय नरायण कुशवाहा पुत्र रामकिशुन आदि 15-20 आदमी एकत्र हो गये थे, जिनमें से कुछ लोग उसके लड़के को मार रहे थे और कुछ लोग बीच बचाव कर रहे थे। प्रातःकाल उसके लड़के को सलेहा खातून गाँव के कुछ लोगों की मदद से लेकर थाने गयी और उसके लड़के की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी है।

4.0- वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना-तुर्कपट्टी, जनपद-कुशीनगर में अभियुक्तगण सलेहा खातून, रूबी खातून, रूकसाना खातून, अमर हुसैन व खुर्शीद के विरूद्ध दिनांक 22.06.2011 को समय 08.45 बजे मु०अप०सं०-425A/2011, धारा-147,304 भा०दं०सं० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5.0- बाद कायमी मुकदमा नियमानुसार विवेचना प्रचलित हुयी। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी तैयार की गयी। साक्षीगण का धारा-161 दं०प्र०सं० का बयान अंकित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया। संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचनाधिकारी द्वारा मात्र अभियुक्तगण सलेहा खातून, अमर हुसैन व खुर्शीद के विरूद्ध धारा-304 भा०दं०सं० के अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

6.0- पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में अभियुक्तगण सलेहा खातून, अमर हुसैन व खुर्शीद के विरूद्ध दिनांक 07.09.2013 को धारा-304 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया गया। आरोप को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की याचना की।

7.0- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 09.06.2014 द्वारा अभियुक्त खुर्शीद उर्फ असलम अंसारी को बाल अपचारी घोषित किया गया तथा उसकी पत्रावली पृथक करके सभी अभिलेखों की प्रतियों व आदेश की प्रतिलिपि के साथ किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रेषित किया गया।

8.0- प्रस्तुत सत्र परीक्षण मामले में अभियोजन की ओर से अपने केस को साबित करने के लिये निम्न साक्षियों को परीक्षित कराया गया-

1.	पी०डब्लू०-01	रोजद्दीन अंसारी	वादी मुकदमा
2.	पी०डब्लू०-02	जैनब खातून	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/मृतक की बहन
3.	पी०डब्लू०-03	सैवन खातून	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/मृतक की माँ
4.	पी०डब्लू०-04	डा० अजय कुमार मल्ल	पोस्टमार्टमकर्ता चिकित्सक
5.	पी०डब्लू०-05	तत्कालीन हे०मु० अरविन्द कुमार राय	एफ०आई०आर० लेखक
6.	पी०डब्लू०-06	उप निरीक्षक इन्द्रदेव सिंह	विवेचनाधिकारी
7.	पी०डब्लू०-07	उप निरीक्षक विनोद कुमार राव	पंचायतनामा साक्षी

9.0- अभियोजन की ओर से निम्न प्रपत्रों को साबित कराया गया-

1.	मूल तहरीर कागज संख्या-5 क	प्रदर्श क-01	पी०डब्लू०-01, रोजद्दीन अंसारी, वादी मुकदमा
2.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज सं०-16 क	प्रदर्श क-02	पी०डब्लू०-04, डा० अजय कुमार मल्ल, चिकित्साधिकारी
3.	चिक एफ०आई०आर० कागज सं०-4 क	प्रदर्श क-03	पी०डब्लू०-05, हे०मु० अरविन्द कुमार राय
4.	रोजनामचा आम कागज संख्या-7 क/1	प्रदर्श क-04	पी०डब्लू०-05, हे०मु० अरविन्द कुमार राय
5.	जी०डी० कायमी कागज संख्या-7 क/3	प्रदर्श क-05	पी०डब्लू०-05, हे०मु० अरविन्द कुमार राय
6.	नक्शा-नजरी घटनास्थल कागज सं०-8 क	प्रदर्श क-06	पी०डब्लू०-06, उप निरीक्षक इन्द्रदेव सिंह, विवेचक
7.	नकल रपट नं०-05 कागज सं०-18 क	प्रदर्श क-07	पी०डब्लू०-06, उप निरीक्षक इन्द्रदेव सिंह, विवेचक (द्वितीयक साक्षी)
8.	नकल रपट नं०-24 कागज सं०-9	प्रदर्श क-08	पी०डब्लू०-06, उप निरीक्षक इन्द्रदेव सिंह, विवेचक (द्वितीयक साक्षी)
9.	आरोप पत्र कागज सं०-3 क	प्रदर्श क-09	पी०डब्लू०-06, उप निरीक्षक इन्द्रदेव सिंह, विवेचक
10.	पंचनामा कागज सं०-10 क/1 ता 10 क/3	प्रदर्श क-10	पी०डब्लू०-07, उप निरीक्षक विनोद कुमार राव, पंचनामा साक्षी
11.	फोटोनाश कागज सं०-11 क	प्रदर्श क-11	पी०डब्लू०-07, उप निरीक्षक विनोद कुमार

			राव, पंचनामा साक्षी
12.	नमूना मोहर कागज संख्या–12	प्रदर्श क–12	पी०डब्लू०–07, उप निरीक्षक विनोद कुमार राव, पंचनामा साक्षी
13.	पुलिस आरक्षक प्रपत्र संख्या–13 कागज संख्या–14	प्रदर्श क–13	पी०डब्लू०–07, उप निरीक्षक विनोद कुमार राव, पंचनामा साक्षी

10.0– अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये सफाई साक्ष्य देने की बात कही तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुये कहा है कि मृतक यह जानते हुये कि सलेहा खातून के परिवार में कोई पुरूष व्यक्ति नहीं था, लगभग एक कि०मी० दूर अपने घोठा पर मृतक सो रहा था। वहाँ से उठकर आया व बलात्कार करने की नियत से सलेहा खातून के घर में घुस गया तथा सलेहा खातून व उसकी बहन के चिल्लाने व शोर करने पर अगल–बगल के लोग रात होने के कारण मृतक को पहचान नहीं सके व अज्ञात लोगों व भीड़ द्वारा मारने से उसको चोटें आयीं।

11.0– अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में सलेहा खातून को डी०डब्लू०–01 के रूप में व अली अंसारी को डी०डब्लू०–02 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

12.0– मैनें प्रस्तुत मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के सारगर्भित तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

13.0– इस मामले में अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि घटना वाली रात जब वादी मुकदमा का पच्चीस वर्षीय पुत्र रफीक उनके घर में घुस आया, तो उन लोगों ने उसे बुरी तरह मार–पीट कर गम्भीर चोटें पहुँचायीं। इतना ही नहीं अभियुक्तगण सुबह मृतक को पकड़ कर थाने ले गये। थाने से अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी।

14.0– अभियुक्तगण पर लगाये गये उपरोक्त आरोप को साबित करने के लिये इस मामले में पी०डब्लू०–01 के रूप में मृतक का पिता/वादी मुकदमा रोजद्दीन अंसारी को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कहा है कि घटना हुये आज से 05 साल 09 महीना हुआ, 02.00 बजे रात का समय था। उसका लड़का रफीक घोठा पर उसके साथ सोया था। 02.00 बजे रात में रफीक

उठकर अलाउद्दीन के घर चला गया और उनके घर में घुस गया। रूखसाना, रूबी खातून, सलेहा खातून, अमर हुसैन व खुर्शीद सब लोग मिलकर लाठी, डण्डा, हाथ, मुक्का से मारने लगे। शोर पर संजय, जय नरायन, शिव मंगल व और लोग पहुँच गये। उसकी औरत सहीमा व लड़की जैनब भी पहुँच गयी। यह लोग जाकर मारने से मना किये, लेकिन मुल्जिमान मारते-पीटते रहे। भोर में लड़के रफीक को सलेहा खातून व कई लोग मिलकर थाने पर ले गये। वहाँ से सरकारी अस्पताल, कुबेरस्थान ले जा रहे थे, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। उसकी लड़की व औरत ने घटना की जानकारी दी। उसने रपट लिखाने के लिये थाने पर दरखास्त दिया था, जो उसने बोला वही प्रार्थना पत्र पर लिखा गया था। पढ़वाकर सुना, तब निशानी अँगूठा बनाया। उसके लड़के मृतक रफीक का पंचायतनामा बना था, उसके सामने ही लाश का सील, मोहर हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-01 वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

15.0- प्रतिपरीक्षा में पी०डब्लू०-01 ने कहा है कि मुल्जिमान जहाँ मारे थे, वह जगह हम देखे हैं। घर पर मारे थे, मार रहे थे, तो हम छुड़ाये। घर में आँगन के पास मुल्जिमान व उसका लड़का था, आँगन के पूरब तरफ सभी लोग मार रहे थे, रात को 02.00 बजे सभी लोग मार रहे थे। 02.00 बजे वह अपने घर पर सोया था। वह व रफीक दोनों आदमी सोये थे, दो चौकी पर हम लोग अलग-अलग सोये थे। मृतक रफीक से पहली मुलाकात थाने पर हुयी थी। रफीक बोलने की हालत में नहीं था, गाँव के तमाम लोग मौजूद थे, जो रफीक को थाने लेकर गये थे। जय नरायन, राजेन्द्र, खुर्शीद, अमर और भी तमाम लोग थे, रूबी भी मौजूद थी। जो मैनें देखा वह रपट में मैनें दिया। रपट किसने लिखा था, ख्याल नहीं है। रपट देने के समय लड़के को डाक्टरी में ले जाकर सुला दिये थे, रास्ते में रफीक की मृत्यु हो गयी थी। रपट देने के बाद वह लाश खाना पर चला गया था। मरने के बाद रफीक को कुबेरस्थान अस्पताल में भेजवा दिया था। मरने के समय रफीक शर्ट, पैन्ट पहने था, मुल्जिमान उसके पट्टीदार हैं। हम लोगों में बंटवारा हो गया था, लेकिन आपस में झंझट थी। रफीक दिमाग का क्रेक था, उसी से सलेहा के घर चला गया था। यह मौका नहीं मिला कि रफीक मेरी ओर से कुछ बात कह सके। लाश अस्पताल पर थी, उसे दरोगा जी थाने पर रोके थे। थाने से बस पकड़ कर वह कसया चला गया था। लाश 06.00 बजे शाम को मिली थी। हम क्या बतायें, कुछ लोग मार रहे थे, कुछ लोग बचा रहे थे। लड़के की बीमारी के ईलाज की पर्ची उसके पास नहीं है। घटना के छः माह पहले दवा कराया था। उसने दरोगा जी को यह नहीं

बताया था कि रफीक का दिमागी सन्तुलन खराब था। रफीक का दिमागी सन्तुलन पैदाइशी खराब था। घटना वाले दिन वह सुबह 04.00 बजे उठ गया था, फिर कहा कि वह 05.00 बजे उठा था। कोई जगाया नहीं था, हल्ला हुआ तो उठ गया था। स्पष्ट है कि पी०डब्लू०-01 वादी मुकदमा ने प्रतिपरीक्षा में भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। हांलाकि उसके द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा कुछ ऐसी बातें भी कही गयीं हैं, जो उसके प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने पर सन्देह पैदा करती हैं।

16.0- प्रस्तुत सत्र विचारण मामले में अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षियों में मृतक रफीक की बहन जैनब खातून को पी०डब्लू०-02 के रूप में परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०-02 को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कहा है कि घटना हुये छः साल हुये, 01.30 बजे रात का समय था, रफीक उसका भाई था, रफीक घोठा पर अब्बा के साथ सोया था। सलेहा की माँ कलकत्ता गयी थी, तो उसके बाबा से कह गयी थी कि मेरा घर देखते रहियेगा। रूबी किसी बाहरी आदमी से बात कर रही थी, रफीक ने देखा, मना किया। रूबी कही कि तुम्हें क्या करना है, तब रफीक ने डांटा, रूबी ने धमकी दिया कि मैं तुमको बताऊँगी। यह बातें रफीक ने उससे बतायी थीं। रूबी की माँ के कहने के मुताबिक पट्टीदारी का घर समझ कर रफीक देखने गया तो वहाँ पर सलेहा, रूखसाना, रूबी, अमर हुसैन और खुर्शीद मारने लगे। डण्डा, लाठी से मारे, लांछन लगाकर रफीक को मारे। सलेहा, रफीक को लेकर थाने पर गयी, दरोगा जी ने डाक्टरी कराने के लिये भेजा। कुबेरस्थान अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में रफीक की मृत्यु हो गयी। रफीक को जब मार रहे थे, तो शोर सुनकर पहुँची, दरोगा जी उसका बयान लिये थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बतायी गयी जैनब खातून पी०डब्लू०-02 ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। पी०डब्लू०-02 द्वारा अपने बयान में यह भी कहा गया है कि शोर सुनकर वह मौके पर पहुँची, तब मुल्जिमान को रफीक को मारते-पीटते देखा। पी०डब्लू०-02 द्वारा यह भी कहा गया है कि मुल्जिमान रफीक को लाठी, डण्डे से मार रहे थे।

17.0- अभियोजन की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी०डब्लू०-02 ने प्रतिपरीक्षा में घटना के बारे में बताते हुये कहा है कि वह 03.00 बजे सुबह बिस्तर से उठी। उसके घर से सलेहा का घर 10 गज दूर है। सलेहा का घर उसके घर से उत्तर है। उसके घर से घोठा आधा कि०मी० दूर है। वहीं पर उसके पिता व रफीक सोये थे। वह और उसकी माँ भी सोयी थी। वह और उसकी माँ एक साथ ही उठे थे। सुबह 04.00 बजे अब्बा के पास

घोठे पर गये थे। हम लोग अब्बा को लेकर थाने चले गये। रफीक थाने से अस्पताल के लिये ले जाया जा चुका था। जब वह घर पर ही थी, तो पता चला कि रफीक मर गया है। अमर हुसैन उसका पट्टीदार है, हम लोगों में पट्टीदारी की रंजिश थी। उसके भाई रफीक ने थाने में सब बयान दिया था और कसया जाते वक्त रास्ते में मर गये थे। वह आज जो बयान दे रही है, वही बात उसने दरोगा जी से बतायी थी। दरोगा जी क्या लिखे उसे पढ़कर सुनाये नहीं थे। घटना वाले दिन ही पुलिस 06-07 बजे बुलायी थी और बयान ली थी, वह अकेली थी। स्पष्ट है कि अभियोजन की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी०डब्लू०-02 ने प्रतिपरीक्षा में भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि उसने रफीक को मार खाते हुये देखा था। इतना ही नहीं उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि रफीक को पाँच लोग मार रहे थे। यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कुल पाँच अभियुक्तों के विरूद्ध ही पंजीकृत हुयी थी। इस प्रकार पी०डब्लू०-02 के प्रतिपरीक्षा में किये गये अभिकथनों से भी अभियोजन कथानक का समर्थन होता है।

18.0- प्रस्तुत सत्र विचारण मामले में अभियोजन की ओर से तथ्य की एक अन्य साक्षी सैवन खातून पी०डब्लू०-03 के रूप में परीक्षित करायी गयी है। पी०डब्लू०-03 मृतक रफीक की माँ है। अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०-03 को भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है। इतना ही नहीं अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०-02 के रूप में परीक्षित करायी गयी जैनब खातून ने भी अपने बयान में घटनास्थल पर पी०डब्लू०-03 की उपस्थिति की पुष्टि की है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कहा है कि घटना 06 साल पहले की है, रात के 02.00 बज रहे थे, वह गाँव के बाहर घोठे पर सोयी थी। उसके पति भी वहीं सोये थे, रात को शोर होने पर वह जगी, तो अलाउद्दीन के घर की तरफ शोर हो रहा था। वह वहाँ पहुँची तो उसके लड़के रफीक को पाँचों लोग मार रहे थे। उनका नाम सलेहा, रूबी, रूखसाना, अमर हुसैन, खुर्शीद है। सभी मुल्जिमान लाठी से उसके लड़के को मार रहे थे और रस्सी में बाँधे थे। उसने भी बचाने के लिये शोर किया था, गाँव के लोग इकट्ठा हो गये थे। मुल्जिमान उसे भी मारने को दौड़ाये तो वह भाग गयी। घायल अवस्था में उसके लड़के को थाने पर ले गये, वहाँ से ईलाज के लिये तुर्कपट्टी ले जाते समय लड़के की मृत्यु हो गयी। स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बतायी गयी पी०डब्लू०-03 के मुख्य परीक्षा के बयान से अभियोजन कथानक को समर्थन मिलता है और यह साबित हो जाता है कि घटना वाली रात मुल्जिमानों ने पी०डब्लू०-03 के पुत्र मृतक रफीक को रस्सी से

बाँधकर लाठी, डण्डों से बुरी तरह मारा–पीटा, जिससे अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी।

19.0– प्रतिपरीक्षा में पी०डब्लू०–03 द्वारा कहा गया है कि उसने रफीक को मार खाते हुये देखा था। उस समय रात के 02.00 बज रहे थे, पाँच लोग मार रहे थे, कितने लोग देख रहे थे, गिन नहीं सकी। वापस भागकर वह अपने घोठे पर गयी थी, रफीक को तुर्कपट्टी के बंगाली डाक्टर के पास ले गये थे, बंगाली डाक्टर के यहाँ 04.00 बजे भोर में ले गये थे। सुबेरे तक वह घोठे पर ही थी, वापस जो लोग आये, उन्होंने बताया कि रफीक ने थाने पर अपना बयान दिया है। लोग यह भी बताये कि रफीक बयान देने के बाद थाने पर ही मर गये। पोस्टमार्टम कराने वह नहीं गयी थी। वह घोठे पर ही रो–चिल्ला रही थी। घटना वाली रात 02.00 बजे रफीक, सलेहा का घर देखने गया था, क्योंकि सलेहा की माँ कलकत्ता गयी थी। घटना के एक दिन पहले रफीक ने सलेहा को एक लड़के के साथ बात करते देख लिया था, तो सलेहा ने कहा था कि आज रात मैं तुम्हें बताऊँगी, फिर कही कि रूबी किसी लड़के से बात कर रही थी। उसके साथ घटनास्थल पर और कोई नहीं था। हल्ला हुआ तो पूरे गाँव के लोग जुट गये थे, भीड़ में लोगों ने बताया कि रफीक को लोग मार रहे हैं, वह सुनकर वापस भाग कर घोठे पर चली गयी, वह रोने–पीटने लगी। उसके लड़के को कहाँ ले गये, वह साथ में नहीं गयी। फिर कहा कि यही पाँचों लोग उसके लड़के को लेकर गये थे। कहाँ–कहाँ लेकर गये, वह साथ नहीं गयी थी। जब वह लौट कर आयी तो घोठे पर रोजद्दीन थे। घोठे पर जैनब खातून भी थीं, गाँव के बाहर घोठे पर रोजद्दीन सोये थे। उसकी लड़की जैनब खातून और वह घोठे पर ही रोते–पीटते रहे। हम लोग कहीं नहीं गये थे। उसके पति रोजद्दीन भी घोठे पर ही रो रहे थे। स्पष्ट है कि अभियोजन की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी०डब्लू०–03 के प्रतिपरीक्षा के बयान से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

20.0– इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के तीनों साक्षियों पी०डब्लू०–01 रोजद्दीन, पी०डब्लू०–02 जैनब खातून व पी०डब्लू०–03 सैवन खातून ने अपने–अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना वाली रात मृतक रफीक अभियुक्ता सलेहा के घर में घुस गया था। इस पर मुल्जिमान मिलकर उसे लाठी, डण्डा व मुक्का, थप्पड़ से मारने पीटने लगे। इतना ही नहीं अभियोजन साक्षियों के बयान में यह भी आया है कि अभियुक्तगण ने मृतक रफीक को अभियुक्ता सलेहा खातून के आँगन में ही रस्सी से बाँध लिया था और उसके बाद भी मार पीट रहे थे। इसी मार पीट में आयी अत्यधिक चोटों के कारण अस्पताल ले जाते समय रफीक की मृत्यु हो

गयी। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के उपरोक्त साक्षियों के बयान की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–02 एवं चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू०–04 डा० अजय कुमार मल्ल के बयान से भी होती है। चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू०–04 ने इस सम्बन्ध में बताते हुये कहा है कि वह दिनांक 22.06.2011 को जिला अस्पताल, रविन्द्र नगर में तैनात थे। उस दिन उनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हेतु लगी थी। उस दिन रफीक उम्र 45 साल पुरूष का शव श्री रामबेलास, तहसीलदार, कुशीनगर द्वारा पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था, शव सील था। मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेश से पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गयी थी। पोस्टमार्टम करते समय उनके सहयोग में डा० पी०के० गुप्ता, सी०एच०सी०, कसया व डा० बी०एन० पाण्डेय, सी०एच०सी०, कुशीनगर भी थे।

20.1– मृतक की कद–काठी सामान्य थी, पोस्टमार्टम के समय उसका मुँह व आँख बन्द था। शरीर में अकड़न दोनों हाथ व पैरों में थी। शरीर में धुल लगी थी, बॉयी तर्जनी पर हास्पिटल बैण्डेज था। मृतक के शरीर पर निम्न मृत्यु पूर्व चोटें थीं–

(I) मल्टिपल कन्ट्यूजन 15 X 7.0 से०मी०, बाँये स्केपुला रीजन में,

(ii) कन्ट्यूज्ड स्वैलिंग 12 X 15 से०मी०, बाँये स्केपुला के निचले भाग में,

(iii) मल्टिपल कन्ट्यूजन 14 X 10 से०मी०, लेफ्ट साईड बैक आफ चेस्ट, इन्फीरियर एन्गिल आफ लेफ्ट स्केपुला,

(iv) मल्टिपल अब्रेडेड कन्ट्यूजन 29 X 18 से०मी०, राईट स्केपुला रीजन एण्ड बैक आफ स्केपुला,

(v) मल्टिपल अब्रेजन 10 X 6.0 से०मी०, विटबीन 1.0 X 0.2 से०मी० 2.0 से०मी० X 0.4 से०मी० ओवर लोवर बैक, 8.0 से०मी० एबव विगनिंग आफ नेटल क्लेफ्ट,

(vi) मल्टिपल कन्ट्यूजन ओवर लेफ्ट ग्लूटियल रीजन 13.0 से०मी० X 15.0 से०मी०,

(vii) मल्टिपल कन्ट्यूजन 9.0 से०मी० X 8.0 से०मी० राईट ग्लूटियल रीजन,

(viii) अब्रेडेड कन्ट्यूजन 6.5 X 1.0 से०मी० ओवर आउटर एस्पेक्ट एण्ड बैक आफ लेफ्ट लेग 13.0 से०मी० एबव हील,

(ix) लेसरेटेड वुण्ड 1.0 X 0.2 से०मी० X बोन डीप ओवर पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट आफ लेफ्ट इन्डेक्स फिंगर,

(x) मल्टिपल अब्रेडेड कन्ट्यूजन 9.0 X 6.0 से०मी०, बैक आफ फोरआर्म जस्ट एबव लेफ्ट रिस्ट ज्वाईन्ट,

(xi) मल्टिपल अब्रेडेड कन्ट्यूजन ओवर बैक आफ लेफ्ट एल्वो,

(xii) मल्टिपल अब्रेडेड कन्ट्यूजन ओवर फ्रन्ट आफ लेफ्ट फोरआर्म 6.0 से०मी० X 5.0 से०मी०, कलाई से 4.0 से०मी० ऊपर,

(xiii) कन्ट्यूज्ड स्वैलिंग 17.0 X 12.0 से०मी०, ओवर पोस्ट्रियो मेडियल एस्पेक्ट आफ लेफ्ट आर्म,

(xiv) कन्ट्यूजन 13.0 X 09.0 से०मी०, ओवर लेफ्ट सोल्डर,

(xv) स्टिच्ड वुण्ड ओवर चिन लेफ्ट टू मिड लाईन,

(xvi) मल्टिपल अब्रेजन 13.0 X 7.0 से०मी०, लेफ्ट साईड आफ फेस एण्ड फोरहेड,

(xvii) मल्टिपल कन्ट्यूजन 5.0 X 8.0 से०मी०, ओवर राइट साईड नेक, जस्ट विहाइन्ड राइट ईयर,

(xviii) मल्टिपल कन्ट्यूजन 11.0 X 11.0 से०मी०, ओवर राइट सोल्डर,

(xix) कन्ट्यूजन 7.0 X 10.0 से०मी०, राइट क्लेविकुलर एण्ड सुप्रा क्लेविकुलर एरिया,

(xx) कन्ट्यूजन 8.0 X 3.0 से०मी०, ओवर लेफ्ट क्लेविकुलर रीजन,

(xxi) मल्टिपल अब्रेडेड कन्ट्यूजन ओवर, फ्रन्ट आफ चेस्ट एण्ड एब्डामेन,

(xxii) मल्टिपल अब्रेडेड कन्ट्यूजन, ओवर फ्रन्ट आफ बोथ नी,

(xxiii) कन्ट्यूज्ड स्वैलिंग 21.0 X 11.0 से०मी०, ओवर पोस्टलेटरल एस्पेक्ट आफ राइट आर्म एण्ड एल्वो,

(xxiv) मल्टिपल अब्रेजन इन फ्रन्ट एण्ड लेटरल एस्पेक्ट आफ राइट फोर आर्म 10.0 से०मी० X 8.0 से०मी०, एबव रिस्ट,

(xxv) कन्ट्यूज्ड स्वैलिंग 10.0 से०मी० X 5.0 से०मी०, राइट साइड आफ स्कल्प एबव राइट ईयर।

20.2– आन्तरिक परीक्षण में हेड एज नोटेड, नेक–NAD, स्कल्प–एज नोटेड, स्कल–NAD, मेम्ब्रेन–NAD, मस्तिष्क–NAD, रीढ़ का छल्ला–NAD, थोरैक्स–एज नोटेड, रिब्स–फ्रैक्चर आफ 2,3,4,5 रिब्स आफ लेफ्ट साइड, प्लूरा–लेसरेटेड आन लेफ्ट साइड, NAD आन राइट साईड, बाँया फेफड़ा–लेसरेटेड, हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे, थोरैक्स कैविटी में 300M.L. खून पाया गया, आमाशय–100M.L. फ्लूएड अधपचा भोजन, छोटी आंत–पचा हुआ भोजन व गैस, बड़ी आंत–मल्ल व गैस, यकृत–1000 ग्राम, गालब्लैडर सहित, गालब्लैडर भरा हुआ था, स्पिलिन–NAD, जननांग–खाली।

मृत्यु का समय–लगभग आधा दिन पूर्व,

मृत्यु का कारण–शॉक एण्ड हैमरेज एज ए रिजल्ट आफ एण्टीमार्टम इन्जरी।

20.3– साक्षी पी०डब्लू०–04 द्वारा अपने बयान में आगे बताया गया है कि मृतक की उम्र 25 वर्ष थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रथम लाईन में भूल वश 45 वर्ष अंकित हो गया है। इस समय मुझे याद है कि मृतक की उम्र 25 वर्ष थी। मृतक की मृत्यु लगभग आधा दिन पुरानी है। मृतक को यदि भीड़ में लोगों द्वारा मारा जाये, तो ये चोटें आ सकती हैं। शरीर तथा दोनों हाथ, पैरों में अकड़न थी। हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे। रक्त शरीर से बाहर निकल गया होगा। 300M.L. रक्त बाँये फेंफड़े में पाया गया, दाहिना फेंफड़ा बिल्कुल ठीक था।

21.0– इस मामले में अभियोजन का केस यह है कि घटना वाली रात 02.00 बजे मृतक रफीक अभियुक्ता सलेहा खातून के घर में घुस गया था। तब सभी मुल्जिमानों ने मिलकर उसे लाठी, डण्डा, लात, घूसा से बुरी तरह से मारा–पीटा। इतना ही नहीं मुल्जिमान ने मृतक रफीक को काबू में करके रस्सी से बाँधकर बुरी तरह मारा–पीटा, जिससे उसे कई गम्भीर चोटें आयीं। इसके पश्चात स्वयं अभियुक्तगण ही मृतक रफीक को थाना–तुर्कपट्टी ले गये और पुलिस के कहने पर मुल्जिमान ही रफीक को अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के सभी साक्षियों ने अपने बयान के माध्यम से अभियोजन के उक्त कथानक को साबित किया है। इसके अतिरिक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–02 एवं चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू०–04 के बयान से न सिर्फ अभियोजन के तथ्य के साक्षियों के बयान को समर्थन मिलता है, अपितु अभियोजन कथानक की भी पुष्टि होती है। इसी आधार पर अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध सन्देह से परे साबित है। इसके विपरीत अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन कथानक में अनेक त्रुटियाँ हैं। घटना उस तरह हुयी ही नहीं है, जैसा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

22.0– अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन कथानक के विरूद्ध पहला तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना वाली रात मृतक रफीक आशनाई की नियत से अभियुक्ता सलेहा खातून के घर में घुसा था। वास्तव में अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक रफीक बलात्कार के इरादे से अभियुक्ता सलेहा खातून के घर में घुसा था। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि मृतक रफीक ने

बलात्कार का प्रयास किया था, उससे बचने के लिये अभियुक्ता सलेहा खातून और अन्य लोगों ने मिलकर उसे मारा-पीटा था। अभियुक्ता सलेहा खातून और अन्य अभियुक्तों का यह कृत्य प्राईवेट प्रतिरक्षा की श्रेणी में आयेगा और वे किसी भी अपराध के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। यह सही है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-100 में कुछ ऐसे आपराधिक कृत्यों का वर्णन है, जिनसे बचने के लिये हमलावर की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। इसमें तीसरे नम्बर पर बलात्कार के आशय से किये गये हमले का वर्णन है अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर बलात्कार के आशय से हमला करे, तो उस स्त्री और अन्य लोगों को भी उस स्त्री को बलात्कार से बचाने के लिये ऐसे हमलावर की मृत्यु कारित करने का अधिकार धारा-100 भा०दं०सं० देती है। किन्तु इस अधिकार की कुछ परिसीमायें भी हैं। इसमें पहला यह है कि प्राईवेट प्रतिरक्षा का यह अधिकार उस समय प्रारम्भ होता है, जब तात्कालिक खतरा उत्पन्न होता है और दूसरे इसका विस्तार उस सीमा तक होता है, जब तक ऐसा खतरा विद्यमान रहता है।

23.0- इस मामले में मृतक रफीक के बारे में यह कहा गया है कि वह बलात्कार के इरादे से अभियुक्ता सलेहा खातून के घर में घुसा था, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मृतक रफीक ने तीनों बहनों में से किसके साथ बलात्कार का प्रयास किया था। यह स्पष्ट ही है कि अभियुक्ता सलेहा खातून के घर में घटना के समय उसके अतिरिक्त उसकी दो बहनें रूखसाना खातून व रूबी खातून भी मौजूद थीं। ऐसे में जिस घर में तीन सगी बहनें एक साथ मौजूद हों। वहाँ कोई व्यक्ति घर में घुसकर उन तीनों में से किसी एक के साथ बलात्कार का प्रयास करे, यह स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में बचाव पक्ष की ओर से यह स्पष्ट करने का प्रयास ही नहीं किया गया है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि घटना वाली रात मृतक रफीक ने अभियुक्ता सलेहा खातून के घर में घुसकर बलात्कार का प्रयास किया था। ऐसी स्थिति में प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारम्भ होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरे अभियोजन साक्ष्य में यह भी आया है कि अभियुक्तगण ने मृतक रफीक को पकड़ कर रस्सी में बाँध लिया था और उसे बुरी तरह मारा-पीटा था। विधि यह है कि प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तभी तक बना रहता है, जब तक खतरा विद्यमान रहता है। इस मामले में यह स्पष्ट ही है कि मुल्जिमान ने मृतक को पकड़ कर काबू कर लिया था, उसके पश्चात प्राईवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। उसके पश्चात किया गया कृत्य पूरी तरह अपराध की श्रेणी में आयेगा। इसलिये न्यायालय के मत में घटना वाली रात अभियुक्तगण द्वारा प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में रफीक की गैर इरादतन हत्या नहीं की गयी।

अतएव अभियुक्तगण को इस तर्क का कोई लाभ नहीं मिल सकता है और न ही इसके आधार पर उन्हें दोषमुक्त किया जा सकता है।

24.0– इस मामले में अभियुक्तगण की ओर से एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घटना वाली रात जब रफीक अन्धेरे व सन्नाटे में अभियुक्ता सलेहा खातून के घर में घुसा, तो उसकी बहन चिल्लायी। शोर सुनकर अभियुक्ता सलेहा खातून व आस–पास के लोग इकट्ठा हो गये। उन्होंने बिना पहचाने रफीक को पकड़ लिया और चोर समझ कर उसे मारा–पीटा, उसी मार–पीट में आयी चोट के कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्तगण की ओर से डी०डब्लू०–01 के रूप में परीक्षित अभियुक्ता सलेहा खातून व डी०डब्लू०–02 के रूप में परीक्षित अली अंसारी ने अपने–अपने बयानों के माध्यम से यही साबित करने का प्रयास किया है। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि यदि डी०डब्लू०–01 एवं डी०डब्लू०–02 का बयान उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किये गये बलात्कार वाले तर्क को स्वयं खण्डित कर देता है। दूसरे मृतक रफीक एवं अभियुक्तगण आपस में पट्टीदार हैं, दोनों पक्ष एक–दूसरे को अच्छी तरह से जानते–पहचानते हैं। वास्तव में गाँव में लोग एक–दूसरे को आवाज से भी पहचान लेते हैं। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि मृतक रफीक को मुल्जिमान ने चोर समझ कर बिना पहचाने ही मार–पीट दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी। वास्तव में बचाव पक्ष के इस तर्क में भी कोई बल नहीं है और न ही इसका कोई लाभ अभियुक्तगण को दिया जा सकता है।

25.0– इस मामले में अभियोजन कथानक के विरूद्ध बचाव पक्ष की ओर से एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन के किसी भी साक्षी ने घटना अपनी आँखों से नहीं देखी है। बचाव पक्ष का तर्क यह है कि अभियोजन की ओर से घटना 02.00 बजे रात की बतायी गयी है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के तीनों साक्षियों ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि रात में 02.00 बजे वे सो रहे थे। यह सही है कि इस मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के तीनों साक्षियों पी०डब्लू०–01 रोजद्दीन, पी०डब्लू०–02 जैनब खातून व पी०डब्लू०–03 सैवन खातून ने अपने–अपने बयान में यह कहा है कि रात के 02.00 बजे वे सो रहे थे। लेकिन सिर्फ उनके इस बयान के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वे चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना वाली रात 02.00 बजे रफीक अभियुक्ता सलेहा खातून के घर में घुसा था। उसके पश्चात अभियुक्तगण ने उसे पकड़ लिया था और सुबह 4.00 बजे तक उसे मारा–पीटा

था। इस बीच वे उसे ईलाज हेतु बंगाली डाक्टर के पास भी ले गये थे। बाद में अभियुक्तगण ही मृतक रफीक को थाने ले गये और थाने से मुल्जिमान ही रफीक को ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल ले जा रहे थे। उसी रास्ते में रफीक की मृत्यु हुयी। ऐसी स्थिति में इस मामले की आपराधिक घटना को रात 02.00 बजे घटी नहीं माना जा सकता है। वास्तव में अभियुक्तगण द्वारा कारित आपराधिक घटना रात 02.00 बजे से लेकर उस समय तक जारी रही है, जब उन्हीं के द्वारा थाने से अस्पताल ले जाते समय रास्ते में रफीक की मौत हुयी है। इस बीच अभियोजन के तीनों तथ्य के साक्षियों ने अभियुक्तगण व मृतक को साथ-साथ देखा है। अभियोजन के तथ्य के सभी साक्षियों ने अपने-अपने बयान में यह भी कहा है कि वे मौके पर गये थे और बचाने का प्रयास भी किया था। किसी माता-पिता या बहन के लिये यह स्वाभाविक ही है कि जब वे यह जान पायें कि उनके पुत्र या भाई को बाँधकर इस तरह मारा जा रहा है, तो वे मौके पर जाकर उसे बचाने का प्रयास करें। प्रतिपरीक्षा में अभियोजन साक्षियों ने उस समय अपने सोने की जो बात कही है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रश्न को समझे बिना उनके द्वारा कहा गया है। इसलिये न्यायालय के मत में बचाव पक्ष के इस तर्क में भी कोई बल नहीं है और न ही इसके आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा सकता है।

26.0- अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन कथानक के विरूद्ध एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घटना में आरोपित अभियुक्तगण ने मृतक रफीक को नहीं मारा था। अभियुक्ता सलेहा खातून की बहन के शोर पर काफी लोग इकट्ठा हो गये थे, इसी भीड़ में से लोगों ने रफीक को मुक्का, थप्पड़ से मारा, जिससे उसे चोट आयी और उसकी मृत्यु हो गयी। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण की ओर से परीक्षित कराये गये बचाव साक्षियों डी०डब्लू०-01 व डी०डब्लू०-02 ने भीड़ में शामिल किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया है, जबकि यह स्पष्ट ही है कि भीड़ गाँव वालों की और विशेषकर अभियुक्ता सलेहा खातून के घर के आस-पास के लोगों की रही होगी। ऐसे में भीड़ में से किस व्यक्ति ने रफीक को मृत्युकारक चोट पहुँचायी, यह स्पष्ट करना बचाव पक्ष का दायित्व था, तभी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्ष्य में यह आया है कि अभियुक्तगण ने मृतक रफीक को अभियुक्ता सलेहा खातून के आँगन में पूरब तरफ बाँध रखा था और इस प्रकार बाँधने के पश्चात भी उसे मार-पीट रहे थे। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि उस रात किसी अज्ञात भीड़ ने हमला करके रफीक को मृत्युकारक चोट पहुँचा दिया और इस मामले के मुल्जिमान पूरी तरह निर्दोष हैं।

27.0– इस मामले में अभियोजन कथानक के विरूद्ध बचाव पक्ष की ओर से एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घटना का कोई स्वतन्त्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस मामले में पी०डब्लू०–01 के रूप में परीक्षित रोजद्दीन वादी मुकदमा व मृतक का पिता है। जबकि पी०डब्लू०–02 के रूप में परीक्षित जैनब खातून वादी की पुत्री व मृतक की बहन है। इसी प्रकार पी०डब्लू०–03 के रूप में परीक्षित सैवन खातून वादी की पत्नी व मृतक की माँ है। अभियोजन की ओर से तथ्य का कोई अन्य साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि इस मामले में घटना का कोई स्वतन्त्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। किन्तु इस मामले में परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षियों के बयान की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे दस्तावेजी साक्ष्यों व चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू०–04 के बयान से भी हुयी है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं अभियुक्तगण की ओर से यह माना गया है कि घटना वाली रात मृतक रफीक उनके घर में घुसा था। ऐसे में उसके बाद अभियुक्तगण द्वारा उसको मारना–पीटना नितान्त स्वाभाविक प्रतीत होता है। यही इस मामले में अभियोजन कथानक है। ऐसे में स्वतन्त्र साक्षी न होने के आधार पर भी अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद नहीं माना जा सकता है।

28.0– इस प्रकार इस मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना वाली रात अभियुक्तगण ने ही मृतक रफीक को मार–पीट कर गम्भीर चोट पहुँचायी। जिसके कारण उन्हीं के द्वारा अस्पताल ले जाते समय रास्ते में रफीक की मृत्यु हो गयी। इस मामले में अभियोजन कथानक के विरूद्ध अभियुक्तगण की ओर से जो भी तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर अभियोजन कथानक पर सन्देह उत्पन्न् होता हो।

29.0– उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन युक्तियुक्त सन्देह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि घटना वाली रात अभियुक्तगण द्वारा पहुँचायी गयी चोटों के कारण अगले दिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में वादी मुकदमा के पुत्र रफीक की मृत्यु हो गयी।

30.0– प्रस्तुत सत्र विचारण मामले में विनिश्चय हेतु एक प्रश्न यह है कि अभियुक्तगण का आपराधिक कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा–304 के भाग–1 अथवा भाग–2 किसके अन्तर्गत दण्डनीय है। अब तक के विश्लेषण से यह साबित हो चुका है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक को गम्भीर चोटें पहुँचाकर उसकी मृत्यु कारित की गयी। किन्तु अभियुक्तगण द्वारा कारित मृत्यु धारा–299 भा०दं०सं० में परिभाषित हत्या

की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है, जो कि धारा-304 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय है। इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-304 भा०दं०सं० के अपराध में आरोप पत्र प्रेषित किया गया और न्यायालय द्वारा भी अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-304 भा०दं०सं० का ही आरोप विरचित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्तगण का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304 के अन्तर्गत ही हुआ है। ऐसे में यह प्रश्न विचारणीय हो जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक की मृत्यु कारित करने का जो अपराध किया गया, वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304 के भाग-1 अथवा भाग-2 किसके अन्तर्गत दण्डनीय है। धारा-304 भा०दं०सं० का भाग-1 यह प्रावधान करती है कि "जो कोई हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध कारित करता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाये, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।" जबकि उपरोक्त धारा का भाग-2 यह प्रावधान करता है कि "यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाये, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।" इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304 के भाग-01 और भाग-2 में मुख्य अन्तर मृत्यु कारित करने की सम्भाव्यता को लेकर है। वास्तव में जिस कार्य से मृत्यु हुयी है, वह मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया जाये, जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य हो, तो अभियुक्त का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304 के भाग-1 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। किन्तु वह कार्य मृत्यु या शारीरिक क्षति कारित करने के आशय के बिना किया जाय, जिससे मृत्यु हुयी है, तो अभियुक्त का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304 के भाग-2 के अधीन दण्डनीय होगा। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था Anbazhagan vs State, 2023 SCC Online SC 857** के मामले में यही प्रतिपादित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह कहा है कि "In effect, first part of this section would apply when there is guilty intention, whereas the second part would apply when there is no such intention, but there is guilty

knowledge."

31.0– हस्तगत सत्र विचारण में अभियोजन कथानक के अनुसार घटना वाली रात अभियुक्तगण द्वारा मृतक रफीक को पकड़ कर मारा–पीटा गया बाद में उसे रस्सी में बाँधकर भी मारा–पीटा गया। अभियुक्तगण द्वारा मार–पीट कर मृतक के शरीर पर कुल–25 चोटें पहुँचायी गयी। इनमें से कुछ चोटें मृतक के सिर पर भी थीं। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के मारने से मृतक रफीक की 04 रिब्स टूट गयीं। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक रफीक को घण्टों मारा–पीटा गया। इससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण का आशय मृतक को ऐसी चोटें पहुँचाने का था, जिससे उसका मृत्यु कारित होना सम्भाव्य हो। अतएव न्यायालय के मत में इस मामले में अभियुक्तगण द्वारा कारित किया गया आपराधिक मानव वध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–304 के भाग–1 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

32.0– उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस सुविचारित मत की है कि प्रस्तुत सत्र विचारण मामले में अभियुक्तगण अमर हुसैन व सलेहा खातून धारा–304 भाग–1 भा०दं०सं० के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

33.0– सत्र विचारण संख्या–166/2013, मु०अप०सं०–425A/2011, सरकार–बनाम–सलेहा खातून आदि, धारा–304 भा०दं०सं०, थाना–तुर्कपट्टी, जनपद–कुशीनगर के मामले में अभियुक्तगण अमर हुसैन व सलेहा खातून को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–304 भाग–1 भा०दं०सं० के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

34.0– अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्त अमर हुसैन हाजिर अदालत है, उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार, देवरिया भेजा जाये।

35.0– अभियुक्ता सलेहा खातून उपस्थित नहीं है, उसका हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। अभियुक्ता सलेहा खातून के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो।

36.0– अभियुक्तगण का जमानतनामा व स्वःबन्धपत्र निरस्त किया जाता है, प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

37.0– पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु दिनांक 10.08.2026 को पेश हो।

38.0– अभियुक्त अमर हुसैन नियत तिथि के लिये जिला कारागार, देवरिया से तलब हो।

दिनांक/कुशीनगर।

अगस्त 07, 2026

(परमेश्वर प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-02,
कुशीनगर, स्थान-पड़रौना।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक/कुशीनगर।

अगस्त 07, 2026

(परमेश्वर प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-02,
कुशीनगर, स्थान-पड़रौना।

<u>न्यायालय-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-02,कुशीनगर, स्थान-पड़रौना।</u>

उपस्थितः-परमेश्वर प्रसाद, एच०जे०एस०-U.P. 6363

सत्र परीक्षण संख्या-166/2013

सरकार-बनाम-रेहाना खातून आदि,

मु०अप०सं०-425A/2011,
धारा-304 भा०दं०सं०,
थाना-तुर्कपट्टी,
जनपद-कुशीनगर।

<u>10.08.2026</u>-

39.0- पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु पेश हुयी।

40.0- इस मामले में अभियुक्तगण को दिनांक 07.08.2026 को दोषसिद्ध किया गया था। अभियुक्त अमर हुसैन को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया था। वह जेरे हिरासत आज हाजिर अदालत है। अभियुक्ता सलेहा खातून दिनांक 07.08.2026 को अनुपस्थित थी। उसके विरूद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र निर्गत किया गया था। उसने आज समक्ष न्यायालय आत्मसमर्पण किया है।

41.0- अभियुक्तगण व अभियोजन पक्ष ने दण्ड के प्रश्न पर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

42.0- अभियोजन की ओर से कहा गया कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के पुत्र रफीक को मार-पीट कर गम्भीर चोटें पहुँचायी, जिसमें से कुछ चोटें मृतक के शरीर के सिर व सीने जैसे महत्वपूर्ण अंग पर थीं। अभियुक्तगण के मारने से मृतक की बाँयें तरफ की 2,3,4 व 5 नम्बर की पसलियाँ (रिब्स) टूट गयी थीं। इससे स्पष्ट होता है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण का आशय मृतक की गैर इरादतन हत्या कारित करने का था। इसलिये अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जावे। इसके विपरीत दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध अभियुक्ता सलेहा खातून महिला है, उसके एक विवाह योग्य जवान लड़की है। दूसरा दोषसिद्ध अभियुक्त अमर हुसैन पचास वर्ष से अधिक आयु का वृद्ध व्यक्ति है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि का इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण के

विरूद्ध अन्य कोई अभियोग भी पंजीकृत नहीं है। इसलिये दोषसिद्ध अभियुक्तगण को न्यूनतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

43.0– प्रस्तुत सत्र विचारण मामले में अभियुक्तगण अमर हुसैन व सलेहा खातून को धारा–304 भाग–1 भा०दं०सं० के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया गया है। धारा–304 भाग–1 भा०दं०सं० में अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय इस मत की है कि धारा–304 भाग–1 भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध अभियुक्तगण में से प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु०–10,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने से न्याय की मंशा की पूर्ति हो जायेगी। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्त को 03 माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा देना उचित होगा।

<u>दण्डादेश</u>

44.0– सत्र विचारण संख्या–166/2013, मु०अप०सं०–425A/2011, सरकार–बनाम–रेहाना खातून आदि, धारा–304 भा०दं०सं०, थाना–तुर्कपट्टी, जनपद–कुशीनगर के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्तगण अमर हुसैन व सलेहा खातून प्रत्येक को धारा–304 भाग–1 भा०दं०सं० के अपराध के आरोप में 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु०–10,000–10,000/–(दस–दस हजार रूपये) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

45.0– अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्त को 03 माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

46.0– दोषसिद्ध अभियुक्तगण की उपरोक्त सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

47.0– दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि कारावास की इस सजा में समायोजित की जायेगी।

48.0– इस निर्णय व आदेश की एक प्रति धारा–365 दं०प्र०सं० के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर को प्रेषित हो।

49.0– अभियुक्तगण का सजायाबी वारण्ट बनाकर उन्हें सजा भुगतने हेतु जिला कारागार, कुशीनगर/देवरिया भेजा जाये।

50.0– इस निर्णय व आदेश की एक–एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्तगण प्रत्येक को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक/कुशीनगर।

अगस्त 10, 2026

(परमेश्वर प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–02,

कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

आज यह निर्णय व दण्डादेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक/कुशीनगर।

अगस्त 10, 2026

(परमेश्वर प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–02,

कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

Digitally signed by PARMESHWAR PRASAD
Date: 2026.08.10 15:07:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court